कुल जोड़

## वित्त मंत्रालय

## मांग संख्या 35

## पेंशन

क. वस्तियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए) वास्तविक 2014-2015 संशोधित 2015-2016 बजट 2015-2016 बजट 2016-2017 मुख्य शीर्ष आयोजना-भिन्न आयोजना-भिन्न आयोजना-भिन्न आयोजना-भिन्न आयोजना जोड आयोजना जोड आयोजना जोड़ आयोजना जोड़ 25297.68 25297.68 26285.00 26285.00 26785.00 26785.00 31070.00 31070.00 राजस्व पूंजी जोड 25297.68 25297.68 26285.00 26285.00 26785.00 26785.00 31070.00 31070.00 पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 1. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 1.01 अधिवर्षिता और सेवा-निवृत्ति भत्ते 2071 13565.06 13565.06 14305.13 14305.13 14704.15 14704.15 16926.23 16926.23 पेंशन का संराशीकृत मूल्य 2071 1565.46 1988.24 1565.46 1725.00 1725.00 1724.00 1724.00 1988.24 उपदान 2436.84 1.03 2071 2436.84 2550.00 2550.00 2550.00 2550.00 2958.00 2958.00 कुटुम्ब पेंशन 1.04 2071 4010.79 4010.79 4499.45 4499.45 4602.45 4602.45 5338.84 5338.84 छुट्टी नकदीकरण 1.05 2071 1432.69 1432.69 1485.00 1485.00 1485.00 1485.00 1722.60 1722.60 भविष्य निधियों के लिए अंशदान 2071 7.14 7.14 12.00 12.00 12.00 12.00 13.20 13.20 पेंशन संबंधी विविध भुगतान 2644.16 3068.30 2071 2111.02 2111.02 2644.16 2648.16 2648.16 3068.30 1.08 2071 2.50 2.50 3.00 128.69 128.69 2.50 2.50 3.00 घटाइए-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 0071 -1000.00 -1000.00 -1000.00 -1000.00 -1000.00 -1000.00 दिल्ली सरकार से प्राप्य राशि कुल 26728.26 *25257.69 25257.69* 26223.24 26223.24 26728.26 31018.41 31018.41 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण जमा संबद्ध बीमा योजना 2235 39.52 39.52 59.85 59.85 54.83 54.83 50.17 50.17 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा 2235 0.37 0.37 1.50 1.50 1.50 1.50 1.01 1.01 योजना 2.03 अन्य 2235 0.10 0.10 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 जोड़- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 39.99 39.99 61.76 56.74 56.74 61.76 51.59 51.59

26285.00

26285.00

26785.00

26785.00

*25297.68 25297.68* 

31070.00

31070.00

- 1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** इस मांग में भारत की समेकित निधि पर प्रभारित सहित पेंशन और उपादान के भुगतान हेतु प्रावधान शामिल है जिसे बाद में राज्य सरकारों से वसूल किया जाता है। '0071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियों' के अंतर्गत प्राप्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्य देयों के कारण हैं।
- 2. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** इसमें अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमाराशि से जुड़ी बीमा योजना और केन्द्र सरकार कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।